न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 181/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 वशीर पिता गफूर मुसलमान उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
2 कालू पिता रामकरण माली उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
3 छीतर पिता रामनाथ कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
4 बद्री पिता रामकरण माली उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
5 रतनलाल पिता नाथ जाट उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
6 रतन पिता उंकार कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
7 मुकेश पिता रामकरण कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
8 शिवराज पिता रामकरण कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
9 सीमा पुत्री रामकरण कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
10 आशा पुत्री रामकरण कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
11 टीना पुत्री रामकरण कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
12 रामराज पिता उंकार कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
13 रामलाल पिता उंकार कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
14 उगमी पत्नि धन्ना कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
15 घीसू पिता बन्ना कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
16 छीतर पिता बन्ना कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
17 प्रहलाद पिता बन्ना कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
18 रतन पिता रामलाल गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
19 रामेश्वर पिता गोकल माली उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
20 सांवरा पिता दुर्गा कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
21 सीमा पुत्री धन्ना कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
22 कमला पत्नि गोपाल गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
23 भागचन्द पिता गोपाल गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
24 कैलाश पिता गोपाल गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां जिला–शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner

25 काली पुत्री गोपाल गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
26 रूपाल पिता गोपाल गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1 प्रहलाद पिता रामधन जाट उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
2 बदाम पत्नि स्व. रामधन जाट उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
3 बन्नालाल पिता देवकरण जाट उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
4 सुशीला पुत्री रामधन जाट उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
5 रतन पुत्री छीतर माली उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
6 लादू पिता छीतर माली उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
7 रेखा पत्नि शोभाग माली उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
8 किस्मत पत्नि हेमराज माली उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
9 करमा पत्नि गजानन्द माली उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
10 ईशाक पिता गफूर मुसलमान उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
11 सत्यनारायण पिता धन्ना कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
12 घीसी पत्नि घीसा कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
13 कमला पत्नि मोडू कीर उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
14 भूरी पत्नि कालू कीर उम्र–वयस्क निवासी गडूलिया खेडा, दौलतपुरा तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
15 शैतान पिता कालू कीर उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
16 दिनेश पिता कालू कीर उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
17 शान्ता पत्नि दिनेश कीर उम्र–वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
18 काली पुत्री कालू कीर उम्र–वयस्क निवासी बालापुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
19 मुकेश पिता रामधन जाट उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
20 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा फूलियाकलां जिला शाहपुरा राज.
21 शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा फूलियाकलां जिला शाहपुरा राज.

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां जिला-शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner

शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा कनेछनकलां जिला शाहपुरा राज.
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– मदीना बानू–––– प्रार्थीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
श्री विजय पाराशर–––––––अप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 02.09 2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 21.12.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा फूलियाकलां पटवार मण्डल क्षेत्र फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 1867, 1862, 1863, 1865, 1866 प्रार्थीगण के खातेदारी/सहखातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थीगण की खातेदारी/सहखातेदारी खसरान में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आते जाते रहे है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 से लगायत 19 के स्वामित्व की आराजी खसरा नम्बरान 1860, 1858, 1864, 1861 की मेड के किनारे किनारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार कराया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी/सहखातेदारी खसरान पर पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व के खसरान संख्या 1860, 1858, 1864, 1861 भूमि में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किये जाने की ईस्तदुआ की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 21.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद

सहायक कलक्टर
एवं उ[illegible] [illegible]धिकारी
फुलिया[illegible] जिला–शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner

तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध बावजूद तामील गैर हाजिर पाये जाने पर एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। परन्तु कालान्तर अवधि में विपक्षी संख्या 01, 02, 04, 06, 11, 19 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कराये गये प्रार्थनापत्र प्रार्थनापत्र आदेश 09 नियम 07 सिविल प्रक्रिया संहिता पर किसी प्रकार का खण्डन/प्रतिरोध पैश नही होने से प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, विपक्षीगण का जवाब प्रस्तुतिकरण अवसर बहाल किया गया। अप्रार्थी क्रम 01, 02, 04, 06, 11, 19 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री विजय पाराशर द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का वर्षो से अप्रार्थी के खसरे से आवागमन का कथन असत्य है। प्रार्थीगण के पास मौके पर वैकल्पिक मार्ग पहले से ही मौजूद है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षो से करते चले अे रहे है। प्रार्थीगण शुरूआत से ही अपने ही सहखातेदारी खसरान संख्या 1868, 1869 जो रास्ते से बिल्कुल लगती हुई है। जवाबदाता के खसरान में से न तो वर्तमान में कोई रास्ता निकल रहा है न ही कभी निकला था। 20 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह झूंठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्याय संगत नही है। शुरूवात से ही प्रार्थीगण की वैकल्पिक मार्ग से बिना किसी बाधा/रूकावट के आवाजाही रही है।

यदि प्रार्थीगण को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04, 06, 11, 19 को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही इससे अप्रार्थीगण का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। मौके पर तैयार किए गये हस्ताक्षरार्थ उभयपक्ष पक्षकारान पर्चा मौका दिनांकित 13.06.24 में भू.अ.निरीक्षक द्वारा अदालत को यह अवगत कराया कि दोनों पक्षों के मध्य इस प्रकार की सहमति तय हुई है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के स्वामित्व के खसरान की संयुक्त मेडों में से 7–7 फीट चौडाई का मार्ग यदि कायम कर दिया जाता है तो उभयपक्षों को भविष्य में कोई उजर आपत्ति नही होगी। और तद्नुसार ही मौके पर

सहायक कलक्टर
एवं [illegible]
फुलियाकलां [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

दोनों पक्षों द्वारा प्रकट की सहमति के आधार पर ही तहसीलदार द्वारा मौजा फूलियाकलां स्थित खसरा संख्या 1858 रकबा 1.32 में से 0.0232 हैक्टयर (2 बाई 116 मीटर/232 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1860 रकबा 1.60 में से 0.0418 हैक्टयर (2 बाई 209 मीटर/418 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1861 रकबा 0.22 में से 0.0128 हैक्टयर (2 बाई 64 मीटर/128 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1862 रकबा 0.12 में से 0.0088 हैक्टयर (2 बाई 44 मीटर/88 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1863 रकबा 0.13 में से 0.0078 हैक्टयर (2 बाई 39 मीटर/78 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1864 रकबा 0.36 में से 0.0184 हैक्टयर (2 बाई 92 मीटर/184 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1865 रकबा 0.69 में से 0.0076 हैक्टयर (2 बाई 38 मीटर/76 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1866 रकबा 0.39 में से 0.0096 हैक्टयर (2 बाई 48 मीटर/96 वर्गमीटर), खसरा संख्या 5860/1862 रकबा 0.03 में से 0.0008 हैक्टयर (2 बाई 4 मीटर/8 वर्गमीटर) कुल रकबा 0.1308 हैक्टयर 1308 वर्गमीटर भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता सहमति मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. **रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :–** प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है। परन्तु एक स्थाई मार्ग की जितनी आवश्यकता प्रार्थीगणों को है उतनी ही आवश्यकता का होना अप्रार्थीगणों द्वारा भी मौके पर प्रदर्शित किया गया है। जिस पर प्रकार से नजरी नक्शे में प्रयुक्त किए गये रास्ते को दर्शित किया गया है जाहिरन उत्तरी अन्तिम छौर पर दोनों पक्षों के खसरान मौजूद है जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट हुआ है कि दोनों पक्षों को एक स्थाई मार्ग की अपेक्षा/जरूरत है। भू.अ.निरीक्षक द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित रिपोर्ट का एक सकारात्मक पहलू यह है कि प्रयुक्त किए गये प्रस्तावित मार्ग से प्रभावित होने वाले दोनों पक्षों के खसरान में से बराबर बराबर क्षेत्रफल रास्ते के रूप में समर्पित किया गया है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है। दोनों पक्षों को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित किए गये उभयपक्षों के खसरान में से 14 फिट चौडाई का नवीन मार्ग

सहायक कलक्टर
एवं उ... अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मौके पर प्रकट की गई सहमति को आधार मानते हुए उपलब्ध कराया जाना न्यायालय अत्यावश्यक व अपरिहार्य समझता है।

अतः मौजा फूलियाकलां स्थित खसरा संख्या 1858 रकबा 1.32 में से 0.0232 हैक्टयर (2 बाई 116 मीटर/232 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1860 रकबा 1.60 में से 0.0418 हैक्टयर (2 बाई 209 मीटर/418 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1861 रकबा 0.22 में से 0.0128 हैक्टयर (2 बाई 64 मीटर/128 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1862 रकबा 0.12 में से 0.0088 हैक्टयर (2 बाई 44 मीटर/88 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1863 रकबा 0.13 में से 0.0078 हैक्टयर (2 बाई 39 मीटर/78 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1864 रकबा 0.36 में से 0.0184 हैक्टयर (2 बाई 92 मीटर/184 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1865 रकबा 0.69 में से 0.0076 हैक्टयर (2 बाई 38 मीटर/76 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1866 रकबा 0.39 में से 0.0096 हैक्टयर (2 बाई 48 मीटर/96 वर्गमीटर), खसरा संख्या 5860/1862 रकबा 0.03 में से 0.0008 हैक्टयर (2 बाई 4 मीटर/8 वर्गमीटर) कुल रकबा 0.1308 हैक्टयर 1308 वर्गमीटर नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय दोनों पक्षों के लिए न्यायपूर्ण मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सहमति के आधार पर इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा फूलियाकलां प.ह.क्षेत्र फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा स्थित खसरा संख्या 1858 रकबा 1.32 में से 0.0232 हैक्टयर (2 बाई 116 मीटर/232 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1860 रकबा 1.60 में से 0.0418 हैक्टयर (2 बाई 209 मीटर/418 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1861 रकबा 0.22 में से 0.0128 हैक्टयर (2 बाई 64 मीटर/128 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1862 रकबा 0.12 में से 0.0088 हैक्टयर (2 बाई 44 मीटर/88 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1863 रकबा 0.13 में से 0.0078 हैक्टयर (2 बाई 39 मीटर/78 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1864 रकबा 0.36 में से 0.0184 हैक्टयर (2 बाई 92 मीटर/184 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1865 रकबा 0.69 में से 0.0076 हैक्टयर (2 बाई 38 मीटर/76 वर्गमीटर), खसरा संख्या 1866 रकबा 0.39 में से 0.0096 हैक्टयर (2 बाई 48 मीटर/96 वर्गमीटर), खसरा संख्या 5860/1862 रकबा 0.03 में से 0.0008 हैक्टयर (2 बाई 4 मीटर/8 वर्गमीटर) कुल रकबा 0.1308 हैक्टयर 1308 वर्गमीटर भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

इस किए जाने वाले नवीन मार्ग कायमी से दोनों पक्षों को समान रूप से लाभ होना दिख रहा है और इस न्यायसंगत वितरण प्रणाली को आधार रखते हुए दोनों पक्षों के खसरान के प्रभावित होने वाले क्षेत्रफल की क्षतिपूर्ति/मुआवजा स्वरूप मुल्य राशि अदायगी की आवश्यकता यहां पर अदालत अनिवार्य नही समझती है।

सहायक कलेक्टर
एवं [illegible]
फू[illegible]–शाहपुरा

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible]श [illegible]

उपखण्ड अधिकारी, फलियाकला

जिला शाहपुरा

सहायक कलेक्टर

एवं उपखण्ड अधिकारी

फुलियाकलां, जिला-शाहपुरा